अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी' (AQMC) की दिनांक 26.11.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 के अन्तर्गत नगरों में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP), CAQM तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) के अन्तर्गत 08 नगरों यथा गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, हापुड़, बागपत एवं शामली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP), CAQM तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.11.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
4. सम्बन्धित जनपदों के नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी।
5. जनपदों के अन्य सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण।
6. बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदों के क्षेत्रीय अधिकारी।

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 द्वारा बैठक में प्रतिभाग किये गये अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि नियमित रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) में "Commission for Air Quality Management In National Capital Region and Adjoining Areas" (CAQM) एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत की जा रही कार्यवाहियों का सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू किये गये ग्रेप, एयर क्वालिटी के सघन अनुश्रवण एवं नगरों में स्थापित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के आस–पास के स्थानीय कारकों से हो रहे वायु प्रदूषण के कारण AQI पर प्रतिकूल प्रभाव पड़नें के संबंध में भी अवगत कराया गया। अगामी दिवसों में तापमान एवं वेन्टीलेशन इन्डेक्स में गिरावट के कारण और अधिक वायु प्रदूषण बढ़ने का पूर्वानुमान ''सफर–इण्डिया'' द्वारा किया गया है। अतः माइक्रो एक्शन प्लान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों यथा कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, मैकेनिकल स्वीपिंग एवं वाटर स्प्रिंकलिंग आदि पर सघन अनुश्रवण के साथ प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं नगर की वायुगुणता में माइक्रो एयरशेड/छोटी नगर पंचायतों के योगदान के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्र में स्थापित वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों से प्राप्त AQI के आकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हुए अवगत कराया गया कि वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों के दृष्टिगत माइक्रो प्लानिंग को क्रियान्वित किये जाने के साथ ही गारबेज बर्निंग की घटनाओं को त्वरित निस्तारण/नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है। तत्पश्चात अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अनुमति से विभिन्न नगरों द्वारा GRAP के क्रियान्वयन हेतु प्रगति के बारे में समीक्षा की गयी। विवरण निम्नवत है–

1. गाजियाबाद–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, गाजियाबाद नगर में स्थापित 04 वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों से प्राप्त AQI के आकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हुए लोनी में स्थापित अनुश्रवण केन्द्र के आकड़ों के मान में आपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी होना इंगित किया गया। सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लोनी क्षेत्र में अनुश्रवण केन्द्र के 100 मी0 की परिधि में हो रहे सड़क निर्माण कार्य एवं अन्य स्थानीय कारकों संबंधी जानकारी चाही गयी।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर में स्थापित समस्त अनुश्रवण केन्द्रों से प्राप्त आकड़ों का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। इंदिरापुरम स्थापित अनुश्रवण केन्द्र के समीप ड्राई ब्रूमिंग के कारण प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 10 बजे

के मध्य AQI का मान अधिक होता है। इसी प्रकार लोनी क्षेत्र में सायं 6 बजे से 8 बजे के मध्य AQI का मान अधिक होता है, जिसके सम्भावित कारण ट्रैफिक, रोड डस्ट, कन्स्ट्रक्शन के साथ ही केन्द्र के निकट हो रहे रोड निर्माण कार्य आदि है।

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिशाषी अधिकारी, लोनी से रोड निर्माण कार्य के स्थल पर वाटर स्प्रिंकलिंग तथा वाहनो के आवागमन हेतु डायवर्जन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। तत्क्रम में अधिशाषी अधिकारी, लोनी द्वारा अवगत कराया गया कि वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य निरन्तर कराये जाने के साथ ही वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है एवं रोड निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लोनी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य हेतु कार्य को शीघ्र पूर्ण किये जाने के साथ ही गार्बेज बर्निंग एवं निर्माण कार्य से जनित प्रदूषण हेतु नगर पालिका लोनी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Non-Confirnning क्षेत्र में स्थापित इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला/पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर निरन्तर अभियान के रूप में कार्यवाही किये जाने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये। **सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन्दिरापुरम हॉटस्पाट के समीप मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कराये जाने, गार्बेज बर्निंग संबंधी घटनाओं को रोके जाने के निर्देश अधिशाषी अधिकारी लोनी को दिये गये।**

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इन्दिरापुरम अनुश्रवण केन्द्र के निकट जल निगम द्वारा पाइपलाइन के कार्योपरान्त सर्फेसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है, किन्तु रोड के किनारे डस्ट/मलबा एकत्रित होने के कारण वायुगुणता प्रभावित हो रही है। सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मैकेनिकल स्वीपिंग एवं वाटर स्प्रिकलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। **अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा इन्दिरापुरम क्षेत्र में निरन्तर कूडा उठाये जाने, साफ–सफाई कराये जाने एवं जल निगम, गाजियाबाद पर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।**

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त उपस्थित जिलास्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया कि नगर में स्थापित वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्र के निकट यदि किसी भी स्थानीय कारक से वायु प्रदूषण जनित होता है तो नगर की वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

इसी क्रम में संजयनगर अनुश्रवण केन्द्र के निकट खाली पड़े भूखण्डों एवं प्राइवेट बस स्टेशन से धूल उडने के कारण वायुगुणता प्रभावित होने की जानकारी दी गयी। उक्त के नियंत्रण हेतु बस स्टेशन की ब्लैक टापिंग अथवा घास लगाये जाने (ग्रीन बेविंग) हेतु नगर आयुक्त गाजियाबाद को निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि संजयनगर बस स्टेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आच्छादित है। सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित बस स्टेशन नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तगत किया जा चुका है एवं जी0डी0ए0 के परिक्षेत्र में आच्छादित नहीं है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संदर्भित प्रकरण पर ठोस कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

वसुन्धरा क्षेत्र में सेन्ट्रल यार्ड में सुधार किया गया है, परन्तु एलिवेशन के कार्य का मलबा पड़े होने के कारण धूल हो रही है जिस का प्रभाव वसुन्धरा के अनुश्रवण केन्द्र के आंकड़ों पर पड़ रहा है।

महाप्रबन्धक, आर.आर.टी.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य के दौरान निरन्तर वाटर स्प्रिक्लिंग की जा रही है एवं जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का निस्तारण काछी घाट में

लैण्डफिल साइट पर नियमित रूप से कराया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि साइट का पुनः निरीक्षण कराकर अवशेष मलबे को हटा दिया जाएगा। **अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा फायर बिग्रेड को हायर कर निरन्तर उपयोग किये जाने एवं दोषी इकाईयों के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपति किये जाने के निर्देश दिये गये।** अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं अग्नि शमन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संजय नगर हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है एवं कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ कर ली जायेगी। **सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण संबंधी दोषी इकाईयों के विरूद्ध अर्थदण्ड एवं सिटी एक्शन प्लान के अनुसार खाली भूखण्डों तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपड का कार्य कराया जाने के निर्देश दिये गये।**

(कार्यवाही–जिला एवं पुलिस प्रशासन/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/परिवहन विभाग/अग्नि शमन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2. मेरठ–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ नगर में आर0आर0टी0एस0 के कार्यों से कैसरगंज क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि पैच नं0–17 में लोड़िग–अनलोड़िग तथा सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण अत्यधिक धूल उत्पन्न होती है एवं कार्यदायी संस्थाओं को इस संबंध में कई बार निर्देशित किया गया है परन्तु वाटर स्प्रिंक्लिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। आर0आर0टी0एस0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाटर स्प्रिंक्लिंग का कार्य किया जा रहा है एवं संदर्भित सड़क का अनुरक्षण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। **सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आर0आर0टी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि संदर्भित सड़क आर0आर0टी0एस0 की सामग्री परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त हुई है अतः मेरठ विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य आर0आर0टी0एस0 द्वारा करवाया जाये।**

अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रोड कटिंग चार्जेज को जमा कराये जाने के संबंध में आर0आर0टी0एस0 के प्रतिनिधि से जानकारी चाही गयी। आर0आर0टी0एस0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। नगर आयुक्त, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हॉट मिक्स प्लाण्ट को बन्द किये जाने के कारण रोड निर्माण कार्य नहीं कराया जा पा रहा है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0आर0 कमीशन द्वारा मेरठ नगर के हॉट मिक्स प्लांट के संचालन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(कार्यवाही–नगर निगम /मेरठ विकास प्राधिकरण/आर0आर0टी0एस0/परिवहन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. नोएडा–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नोएडा सेक्टर–62 में स्थापित अनुश्रवण केन्द्र का AQI बढ़ा हुआ आ रहा है जिसका प्रमुख कारण किसान धरने से उत्पन्न ट्रैफिक जाम एवं साइट–बी एवं साइट–सी की सड़कों की स्थिति खराब होना है। महाप्रबन्धक यू0पी0सीडा0 द्वारा अवगत कराया गया है कि साइट–बी, सी एवं साइट–सी में निरन्तर वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य किया जा रहा है एवं सड़कों की मरम्मत का कार्य 15 से 20 दिन के अन्दर पूर्ण करा लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संदर्भित साइट्स में स्थापित/संचालित दोषी ईकाइयों के विरूद्ध रू0 21.5 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। **सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नोएडा अथॉरिटी द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण कार्य में ग्रीन पेविंग के कार्य की सराहना की गयी एवं अगले वर्ष हेतु सड़क निर्माण कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।** अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा

डी0एन0डी0 टोल के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। तत्क्रम में अवगत कराया गया कि नोएडा की तरफ का हिस्सा नोएडा नगर के अन्तर्गत एवं दिल्ली की तरफ का हिस्सा दिल्ली महानगर के अन्तर्गत आच्छादित है। **अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा डी0एन0डी0 टोल के समीप भी साफ–सफाई की व्यवस्था अभियान के रूप में चलाये जाने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण किये जाने का निर्देश दिया गया।** विशेष कार्याधिकारी, नोएडा अथॉरिटी द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर–116 व 62 में वाटर स्प्रिंक्लिंग व मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को और अधिक इन्टेन्सिफाई किया जा रहा है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किसान धरने से सम्बन्धित सड़क के यातायात हेतु रूट डायवर्जन के विषय में जानकारी चाही गयी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा अवगत कराया गया कि सम्भव रूट डायवर्जन किये जा रहे है किन्तु ट्रैफिक लोड अधिक होने की वज़ह से समस्या उत्पन्न हो रही है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यातायात विभाग को अधिक यातायात पुलिस कार्मिकों को तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

(कार्यवाही–नगर निगम/नोएडा प्राधिकरण/यातायात पुलिस/परिवहन विभाग /विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4. हापुड़–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद से हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एच0पी0डी0ए0) द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी चाही गयी। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि एच0पी0डी0ए0 द्वारा कलेक्ट्रेट के समीप प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य किया जा रहा है। एच0पी0डी0ए0 को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्थायें किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। **सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थानीय कारकों से हो रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण के निर्देश दिये गये।**

(कार्यवाही–एच0पी0डी0ए0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. मुजफ्फरनगर–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर की ए0क्यू0आई0 में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जोकि चिन्ताजनक है। मुजफ्फरनगर एक बड़ा जनपद है, किन्तु नगर पालिका परिषद में मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन नहीं है। **सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद को मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जाने के निर्देश दिये गये।** उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि जानसठ एवं भोपा रोड औद्योगिक क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की दो सड़के अत्यधिक खराब है, जिसके कारण वहाँ पर वायु प्रदूषण हो रहा है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर एवं अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुज़फ्फ़रनगर को ए0क्यू0एम0सी0 की मीटिंग का संदर्भ देते हुए जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये। साथ ही लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे इन्ड–टू–इन्ड पेविंग अथवा ग्रीनिंग कराये जाने का सुझाव भी दिया गया। **सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग को नोटिस दिये जाने के निर्देश भी क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर को दिये गये।**

(कार्यवाही–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/लोक निर्माण विभाग/नगर पालिका परिषद/जिला प्रशासन)

5. बुलन्दशहर–सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि टैंकर के माध्यम से प्रतिदिन जल छिड़काव कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में 01 नग मैकेनिक स्ट्रीट स्वीपर उपलब्ध है, परन्तु वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इसे शीघ्र ही ठीक करा लिया जायेगा। **सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद को मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जाने के निर्देश दिये गये।**

(कार्यवाही–नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर)

6. बागपत– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित प्रयास किये जा रहे है। **सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभागों को कड़ाई से ग्रेप के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।**

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

समस्त संबंधित जनपदों की ग्रेप हेतु कार्यवाहियों की समीक्षा के उपरान्त अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त एन0सी0आर0 उ0प्र0 के नगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1– समस्त जनपदों संबंधित विभागों के समन्वय से टास्क फोर्स बनाकर सघन रूप से ग्रेप को लागू किये जाने की कार्यवाही की जाये तथा उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित इकाई, एजेन्सी अथवा प्राधिकरण के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये।

2– क्षेत्र में निरीक्षण की आवृत्ति को बढ़ाया जाये।

3– एन0सी0आर0 जनपद के अन्तर्गत समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा आवश्यकतानुसार मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर किराये पर लिया जाये। इस हेतु छोटी नगर पंचायतों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

4– फायर बिग्रेड की मदद से भी जल छिड़काव/वृक्षों की धुलाई इत्यादि का कार्य किये जाये।

5– दोषी निर्माण इकाईयों/प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाये कि निर्माण से संबंधित ठेकेदार का भुगतान अधिरोपित अर्थदण्ड के जमा कराये जाने के उपरान्त ही किया जाये।

6– नियमित रूप से डस्ट सप्रैसेन्ट का उपयोग करते हुए जल छिड़काव का कार्य किया जाये।

7– सड़कों के किनारें की पटरी पर घास लगायी जाये।

8– यातायात प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

9– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जनपद स्तरीय समस्त विभाग आपसी समन्वय से सतत् प्रयास करें।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

आशीष तिवारी
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–1346/81–7–2021–09 (रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 21 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/परिवहन/कृषि/उद्यान/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
4– सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
6– महाप्रबन्धक, आर0आर0टी0एस0, एनसीआरटीसी, मेरठ/गाजियाबाद।
7– निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
8– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9– उपाध्यक्ष, पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़।
10– जिलाधिकारी, समस्त एनसीआर जनपद (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत एवं हापुड़)।
11– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
12– पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, यातायात, समस्त एनसीआर जनपद (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत एवं हापुड़)।
13– संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति)/नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त एनसीआर जनपद (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत एवं हापुड़)।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0वर्मा)
संयुक्त सचिव।